

खातालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कोलायत

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

187

--आदेश--

दि. 18/3/19

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी गोपालदास व भूअनि विपिन के रिपोर्ट तथा तहसीलदार गोपालनाथ तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम गोपालदास तहसील कोलायत जिला कोलायत की जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में खाता संख्या 36 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र सं	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	गोपालदास	36	$\frac{357}{183} - 5.86$	$\frac{421}{183} \quad 0.41$ $\frac{422}{183} \quad 5.45$ शुद्ध 5.86

()
 पीठासीन अधिकारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन उपखण्ड अधिकारी
 कोलायत जिला-कोलायत

दिनांक :-

प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार (श) कोलायत को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शोध किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
 कोलायत जिला-कोलायत